[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संकल्प संख्या वि० (27)पे०को०-53/04-1964, दिनांक 31-8-2005 की प्रतिलिपि । प्रेषक, श्री पी०एन० नारायणन, वित्त आयुक्त । सेवा में, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।]

विषय : दिनांक 1-9-2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना ।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों के आलोक में सम्प्रति राज्यकर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान, भत्ता, सेवानिवृत्ति की आयु आदि की सुविधायें अनुमान्य हैं ।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 05/07/2003 ई०सी०वी०, दिनांक 22-12-2003 द्वारा भारत सरकार के अधीन दिनांक 1-1-2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पेंशन योजना के स्थान पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है । फलस्वरूप भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए प्रख्यापित

अंशदायी पेंशन योजना के सदृश्य राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 1-9-2005 के प्रभाव से अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम **"बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005"** होगा ।

3. इस संकल्प में निहित प्रावधान वैसे सरकारी सेवकों के मामले में लागू होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन दिनांक 1-9-2005 को या उसके बाद हुई हो, परन्तु उक्त प्रावधान संविदा, लोक उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मियों, दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों तथा पुनर्नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होंगे ।

4. दिनांक 1-9-2005 या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन विपत्र से मूल वेतन + अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग की 10 (दस) प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती की जायेगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता अर्थात् राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी ।

5. योजनान्तर्गत संबंधित कर्मियों के अंशदान की कटौती उनके योगदान के अगले माह से प्रारम्भ होगी, अर्थात् यदि सितम्बर, 2005 में किसी ने योगदान किया हो तो अंशदान की कटौती अक्टूबर, 2005 के विपत्र से प्रारम्भ होगी ।

6. योजना प्रवृत्त होने की तिथि 1-9-2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान में लागू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की कटौती नहीं की जायेगी।

7. योजनान्तर्गत अंशदान की कटौती तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान संबंधी लेखा का संधारण तत्काल भविष्यनिधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के अधीन अंशदान की कटौती के लिए एक लेखा संख्या आवंटित की जायेगी ।

8. नई पेंशन योजनान्तर्गत संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निधि की 40 (चालीस) प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीदने (आई०आर०डी०ए० नियंत्रित जीवन बीमा कम्पनी से) के लिए कटौती कर ली जायेगी जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता-पिता तथा पति/पत्नी के जीवन काल हेतु पेंशन की व्यवस्था की जायेगी तथा शेष 60 (साठ) प्रतिशत राशि एक मुश्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को भुगतान कर दी जायेगी।

9. इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

10. अब तक पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण गठित नहीं हो जाता है, तबतक कटौती तथा अंशदान की राशि लोक लेखा में रखी जायेगी तथा इस पर सामान्य भविष्य निधि की दर से ब्याज देय होगा ।

11. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम/शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों की भाँति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है, को इस नई अंशदायी पेंशन योजना को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु निदेशित किया जाता है ।